



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230232
CG-DL-E-08102021-230232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3791]
No. 3791]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4125(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि त्रिपुरा राज्य के नार्थ त्रिपुरा जिले में NH44A के कि.मी. 36.69 से कि.मी. 43.935 (ऑफिस ऑफ़ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर, धर्मनगर, नार्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य के नार्थ त्रिपुरा जिले में NH44A के कि.मी. 36.69 से कि.मी. 43.935 (ऑफिस ऑफ़ थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर, धर्मनगर, नार्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: त्रिपुरा		जिले का नाम: नार्थ त्रिपुरा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कंचनपुर					
गांव का नाम: कंचनचारा					
1	415/P	सरकारी(रैयती)	बिटी (नाल)	0.0160000(एकर)	0.0064751
2	430/1030	सरकारी(रैयती)	सड़क	0.0400000(एकर)	0.0161878
3	537	सरकारी(रैयती)	लाएक पतितो (नाल)	0.4700000(एकर)	0.1902064
4	538	सरकारी(रैयती)	सड़क	0.6800000(एकर)	0.2751922
5	539	सरकारी(रैयती)	लाएक पतितो (नाल)	0.4500000(एकर)	0.1821125
6	540	निजी(रैयती)	दुकान (टिला)	0.0200000(एकर)	0.0080939
7	541	निजी(रैयती)	बिटि	0.1500000(एकर)	0.0607042
8	542	निजी(रैयती)	वास्तु	0.0500000(एकर)	0.0202347
9	544	निजी(रैयती)	वास्तु	0.0700000(एकर)	0.0283286
10	545	निजी(रैयती)	वास्तु	0.0800000(एकर)	0.0323756
11	584	सरकारी(रैयती)	सड़क	0.0300000(एकर)	0.0121408
गांव का नाम: कंचनपुर					
1	2831/P	सरकारी(रैयती)	नदी	0.9930000(एकर)	0.4018616
2	2849/P	सरकारी(रैयती)	वास्तु	0.1860000(एकर)	0.0752732
3	2851/P	सरकारी(रैयती)	सड़क	0.0090000(एकर)	0.0036423

तालुक का नाम: उजान माछमारा					
गांव का नाम: उजान माछमारा रिजर्व फॉरेस्ट					
1	1440	सरकारी(रैयती)	सड़क	2.1300000(एकर)	0.8619992
2	1489/P	सरकारी(रैयती)	वन (टीला)	8.1100000(एकर)	3.2820720
3	1490	सरकारी(रैयती)	सड़क	8.9300000(एकर)	3.6139215
कुल				22.4140	9.0708

[फा. सं. NHIDCL/PMU Dmr/7(2)/2021-22/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2021

S.O. 4125(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH44A in the stretch of land from Km. 36.69 to Km. 43.935 (Office of the District Magistrate & Collector, Dharmanagar, North Tripura District) in the district of North Tripura in the state of TRIPURA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate and Collector in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44A in the stretch of land from Km. 36.69 to Km. 43.935 (Office of the District Magistrate & Collector, Dharmanagar, North Tripura District) in the district of North Tripura in the State of TRIPURA.

State: TRIPURA		District: North Tripura			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Kanchanpur					
Village: Kanchanchara					
1	415/P	Government(Raiyati)	Biti (Naal)	0.0160000(Acre)	0.0064751
2	430/1030	Government(Raiyati)	Road	0.0400000(Acre)	0.0161878
3	537	Government(Raiyati)	Layek Patit (Naal)	0.4700000(Acre)	0.1902064

4	538	Government(Raiyati)	Road	0.6800000(Acre)	0.2751922
5	539	Government(Raiyati)	Layek Patit (Naal)	0.4500000(Acre)	0.1821125
6	540	Private(Raiyati)	Shop (Tilla)	0.0200000(Acre)	0.0080939
7	541	Private(Raiyati)	Biti	0.1500000(Acre)	0.0607042
8	542	Private(Raiyati)	Bastu	0.0500000(Acre)	0.0202347
9	544	Private(Raiyati)	Bastu	0.0700000(Acre)	0.0283286
10	545	Private(Raiyati)	Bastu	0.0800000(Acre)	0.0323756
11	584	Government(Raiyati)	Road	0.0300000(Acre)	0.0121408
Village: Kanchanpur					
1	2831/P	Government(Raiyati)	River	0.9930000(Acre)	0.4018616
2	2849/P	Government(Raiyati)	Bastu	0.1860000(Acre)	0.0752732
3	2851/P	Government(Raiyati)	Road	0.0090000(Acre)	0.0036423
Taluk: Ujan Machmara					
Village: Ujan Machmara Reserve Forest					
1	1440	Government(Raiyati)	Road	2.1300000(Acre)	0.8619992
2	1489/P	Government(Raiyati)	Forest(Tilla)	8.1100000(Acre)	3.2820720
3	1490	Government(Raiyati)	Road	8.9300000(Acre)	3.6139215
Total				22.4140	9.0708

[F. No. NHIDCL/PMU Dmr/7(2)/2021-22/3A]

RAJESH GUPTA, Director